ई-मेल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 1254/वि0का0/2008-09 लखनऊ :: दिनांक ::22 अप्रैल,-2008

विषय :: वित्तीय वर्ष 2008-2009 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत **सामान्य मद** में राज्यांश की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

शासनादेश संख्या-973/38-6-2008-42 एसजीएसवाई/07, दिनांक 21 अप्रैल-2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में सामान्य मद अनुदान संख्या-13 में रू0 6195.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है, जिसमें से तीन माह की धनराशि रू0 2019.96 लाख (रूपये बीस करोड़ उन्नीस लाख छियान्नबे हजार मात्र) की धनराशि प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में जनपदों को अवमुक्त करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. योजनान्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत **सामान्य मद** के लिए रू0 2019.96 लाख (रूपये बीस करोड़ उन्नीस लाख छियान्नबे हजार मात्र) राज्यांश की धनराशि संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आंवटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा जब तक भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होता है तब तक उक्त धनराशि आपके निस्तारण पर रहेगी तथा कोषागार से आहरित कदापि नहीं की जायेगी।

3. बजट प्राविधान की धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को आवंटित की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैंचिंग अंश की सीमा तक आवंटित किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के आहरण वितरण अधिकारी यथा स्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

4. धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिला सेक्टर में योजनान्तर्गत आहरित की जा रही धनराशि की सीमा तक परिव्यय उपलब्ध है। यदि इसमें कोई कमी है तो इसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करके कमी को पूरा कर लिया जाये।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक-" 2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-08-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के0 75/रा0 25-रा) -20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता-27-सब्सिडी " के नामे डाला जायेगा।

6. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान सं0–13 सामान्य मद में आपके जनपद को धनराशि का आवंटन प्रथम बार किया जा रहा

7. जारी किये गये आदेशों की प्रतियॉ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन एवं समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उत्तर प्रदेश शासन तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।

8. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. धनराशि के कोषागार से आहरण की सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक रूप से इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियन्त्रण रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0–134 पर अंकित कर दी गई है।

भवदीय,

Manoj 22.4.08

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

पत्रांक ::1254/वि0का0/2008–09 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8– वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
9– राज्य योजना आयोग–1/2 नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन।
10–विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन।
11–सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को उनके पत्रांक 973/38–6–2008–42 एसजीएसवाई/07, दिनांक 21 अप्रैल–2008 के सन्दर्भ में।
12–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14–निदेशक (एस0जी0एस0वाई0), भारत सराकर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश

ANNEXURE OF LETTER NO. 1254/VKA/2008 Dated 22 April,08. State share being released under SGSY During the year 2008-09 (General)		
S.N.	DISTRICT	State share being released (Rs. In Lakh)
1	2	3
1	AGRA	14.73
2	ALIGARH	11.53
3	ALLAHABAD	57.53
4	AMBEDKAR NAGAR	37.75
5	AURAIYA	21.15
6	AZAMGARH	40.50
7	BADAUN	32.22
8	BAGPAT	2.30
9	BAHRIACH	65.08
10	BALIA	39.23
11	BALRAMPUR	19.27
12	BANDA	21.35
13	BARABANKI	62.90
14	BAREILLY	30.26
15	BASTI	34.30
16	BIJNAUR	22.71
17	BULANDSHAHAR	8.91
18	CHANDAULI	23.59
19	DEORIA	28.30
20	ETAH	20.40
21	ETAWAH	19.11
22	FAIZABAD	28.32
23	FETEHPUR	30.10
24	FIROZABAD	7.62
25	FURRUKHABAD	19.21
26	GAUTAM BUDH NAGAR	4.48
27	GHAZIABAD	4.14
28	GHAZIPUR	43.83
29	GONDA	45.77
30	GORAKHPUR	43.09
31	HAMIRPUR	16.50
32	HARDOI	72.13
33	JALAUN (Orai)	19.77
34	JAUNPUR	45.33
35	JHANSI	14.66
36	JYOTIBA FULE NAGAR	10.56
37	KANNAUJ	14.36
38	KANPUR DEHAT	37.61
39	KANPUR NAGAR	24.62
40	KAUSHAMBI	30.42
41	KHERI (LAKHIMPUR)	66.18

ANNEXURE OF LETTER NO. 1254/VKA/2008 Dated 22 April,08. State share being released under SGSY During the year 2008-09 (General)

S.N.	DISTRICT	State share being released (Rs. In Lakh)
1	2	3
42	KUSHINAGAR (Padrauna)	55.43
43	LALITPUR	11.27
44	LUCKNOW	27.47
45	MAHAMAYA NAGAR (hathras)	7.37
46	MAHARAJGANJ	22.06
47	MAHOBA	7.23
48	MAINPURI	25.21
49	MATHURA	8.71
50	MAUNATH BHANJAN	24.18
51	MEERUT	3.96
52	MIRZAPUR	43.29
53	MORADABAD	15.09
54	MUZAFFARNAGAR	11.45
55	PILIBHIT	20.95
56	PRATAPGARH	52.42
57	RAI BAREILLY	65.18
58	RAMPUR	14.52
59	SAHARANPUR	18.14
60	SAHJI MAHARAJ NAGAR (chitrakut)	14.10
61	SANT KABIR NAGAR	27.49
62	SANT RAVIDAS NAGAR (BHADOHI)	9.70
63	SHAHJAHANPUR	37.97
64	SHARAVASTI	18.34
65	SIDHARTHNAGAR	29.41
66	SITAPUR	70.72
67	SONBHADRA	46.20
68	SULTANPUR	60.69
69	UNNAO	61.84
70	VARANASI	17.75
	TOTAL	2019.96

(Rs. Twenty Crore Nineteen laks Ninety Six Thousand Only)

(Awdesh Kumar)
Addl. Commissioner (Accounts)
Rural Development, U.P.

संख्या– 973 / 38–6–2008–42 एस0जी0एस0वाई / 07

प्रेषक,

वी0एन0अग्रवाल
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 ।

21-4-08
26921 PA/CRD/08
21.4.08

ग्रामय विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 21 अप्रैल,2008

विषय : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–13 राज्यांश अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मु0 वित्त एवं लेखाधिकारी

21-4-08

(मनोज कुमार सिंह) आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1136 / विका0 / 07, दिनांक 03 अप्रैल,2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भारत सरकार के पत्र सं0– 20011 / 02 / 2008– एस0जी0एस0वाई0–1 दिनांक 01 अप्रैल,2008 द्वारा रू0 48479.07 लाख का कुल परिव्यय आवंटित किया गया है,जिसमें से केन्द्रांश रू0 36359.30 लाख एवं राज्यांश रू0 12119.77 लाख निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत नियोजन विभाग द्वारा कुल परिव्यय रू0 12500.00 लाख आवंटित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सामान्य मद अनुदान सं0–13 में रू0 6195.00 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है, किन्तु केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 6059.885 लाख की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतः इस सम्बन्ध में वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के शासनादेश सं0– वी–1–1071/ दस– 2008 / 231 / 2008, दिनांक 20.03.2008 में निहित निर्देशों के अनुरूप रू0 6059.885 लाख में से तीन माह की धनराशि रू0 2019.96 लाख की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराई जायेगी।

2. अवमुक्त की जा रही रू0 2019.96 लाख (रूपये बीस करोड़ उन्नीस लाख छियानब्बे हजार मात्र) में से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाय, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

3. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च,2009 को समर्पित कर दी जायेगी।

4. यह धनराशि आहरित/ व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

5. आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-- बी-1-1071/दस-2008-231/2008, दिनांक 20 मार्च,2008 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखाशीर्षक-"2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-08-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के0 75 /रा0 25-रा) -20-सहायक अनुदान/ अशंदान/ राज सहायता-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या- 1685/दस-16/92, दिनांक 07/07/92 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-- बी-1-751/दस-2004-247/2003, दिनांक 05 मार्च,2004 एवं पत्र संख्या- बी-1 - 1520 /दस-2004-247/2004, दिनांक 22 अप्रैल,2004 के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(वी0एन0 अग्रवाल) 21/5/08
सचिव

संख्या-- 973(1)-38-6-2008-42 एस0जी0एस0वाई/07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
6. राज्य योजना आयोग-1/2, नियोजन अनुभाग-3।
7. कम्प्यूटर/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/ गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(डी0पी0 सिंह)
उप सचिव